विशेष विवरण

[illegible] द्वारा प्राप्त
[illegible] से प्राप्त
[illegible] दर्ज कर्ता / दर्ज कर्ता
[illegible] 24/1/18 को पेश हो

24/1/18 पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार [illegible] से रिपोर्ट अप्राप्त। पुनः पत्र लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 24/3/18 को पेश हो

24/3/18 पत्रावली पेश हुई। रिपोर्ट अप्राप्त। पुनः पत्र लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 8/5/18 को पेश हो

7/5/18 - पत्रावली आज दिनांक को न्यायालय आपके द्वारा कैम्प कोर्ट में पेश हुई। पत्रकार रवीन्द्र कुमार, विकास व बाबूलाल उपस्थित। अन्य पत्रकारों के हस्ताक्षर करने से मना किया। पत्रावली की सुनवाई लोक अदालत की भावना से की गई। पत्रकारों को समझाया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 23 A RTI Act के तहत सूचना की मांग की है। प्रार्थीगण की अपील से कार्यवाही हेतु सूचना पहले से ही मौजूद है

रवीन्द्र कुमार शर्मा
विकास
बाबूलालशर्मा

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय रामेश्वर बनाम भौरी लाल वगैरह

केस संख्या 221/2012

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		आपत्तिकर्ता की खातेदारी भूमि खा० नं० 15 में रास्ता दिया जाना न्यायोचित नहीं है। इस लिये प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251A RTDCA को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम हो बाद प्रति दाखिल उपखण्ड हो। निर्णय आज दिनांक को सर्वजन आम में खुले कक्ष सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़